

ज्ञापांक-2847/तक0
अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।
दिनांक-31वीं अक्टूबर 2019

सेवा में

श्री बीभा सिन्हा,
एम0जी0एम0मानगो,
ब्लॉक मानगो, पोस्ट-मानगो,
जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:- मौजा-डिमना, प्लॉट नं0-1898, खाता नं0-221, वार्ड नं0-09, थाना नं0-16412, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में प्रस्तावित MULTI-STORIED आवासीय भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्तावित के अनुसार प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर से संबंधित आवासीय भवन के स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-183 दिनांक-28.10.2019 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं समर्पित प्लान की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निर्मित आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता का ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. भवन के उपर 450 Lpm क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प की व्यवस्था की जाय।
4. 1650 Lpm क्षमता का फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में एक-एक ऐसे वेट राईजर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 63 mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा 30 मी0 लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास दो-दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
7. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का एक डीजल चालित फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. प्रस्तावित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
13. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

15. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
16. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट तथा एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
17. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
18. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
19. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND,
ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bf7b786d39b4c8876db873
4d26ec9ca187ab115ea2c0348e16ab6005,
postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3fee
b7bf517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2019.10.31 15:09:30 +05'30'

(श्री बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।